अवक्रय अभिधृति अनुबंध (Hire Purchase Tenancy Agreement)

विकास अधिनियम 1976 (उ.स. अधिनियम सं. 6 सन् 1976) की धारा-3 के अनीगत संघटित नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक द्वारा अधिकत अधिकारी हो एवट एक्टर संघटित नवीन ओखला औद्योगिक
विकास आवारवन 1970 (अ.स. आधानवम सं. ६ सन् 1976) की धारा-3 के अनेगत मंगीन के अने आर अ.स. औद्योगिक
विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक हारा अधिकृत अधिकारी (जो एतर प्रचाल प्राधिकरण नामांकित होगा तथा इस
आर्थ उरवर्ष - प्रा मी परमें वर्ग साम
161 - 211-4 636 41
राष्ट्रपति जान गर दिल्ली-गामप
(बो एतट्पश्चात् 'द्वितीय पक्ष' नामांकित होगा तथा इस अभिव्यक्ति में द्वितीय पक्ष के उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक व विधिक
आतानाथ साम्मालत हांग) के मध्य भवन सं 12.2 - D ब्लाक/परिसर U - 3 सैकरा 11 क्षेप्रहा के संबंध में हम
Made I aller Court and met me Courter Courter 1.
अनुवर में यांगत नियम तथा शता पर नियादित किया गया है। 2(1) दितीय पक्ष ने प्राधिकरण द्वारा प्रसारित उत्तर्य ।शिरी १५०० में योजना के अन्तर्गत अवक्रय अधिपृति के आधार पर
श्रेणी के एक भवन के लिए आवेदन किया था तथा प्राधिकरण ने उक्त उल्लिखित भवन निम्नितिखत शर्ती व
नियमों के आधार पर आबंटित करना स्वीकार किया है।
22) दितीय पक्ष ने सुनिश्चित कर लिया है कि वह इस योजना में पंजीकरण हेतू जारी विवरण पिक्क (brochure) में वर्षित
आवंटन की पात्रता के अन्तर्गत अर्ह (eligible) है तथा प्राधिकरण की मांग पर इसे सिद्ध करने हेतू अपनी पूर्ण सहमति वधा
स्वीकृति प्रदान करता है।
23) पूर्विलिखित विधिक प्रलेखों के निष्पादन के पश्चात भी यदि किसी जांच के परिणामस्वरूप प्राधिकरण द्वारा यह पाया जाता है कि
(जिसका निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा) द्वितीय पक्ष द्वारा मूल आवेदन पत्र में या भवन खण्ड के आवंदन व ककरे से संबीधन
The state of the s
अन्य पत्र व्यवहार में कोई असत्य कपटपूर्ण मिध्यापूर्ण (misrepresentation) जानवृत्र कर त्राधिकरण से शपथ पर असत्य कथन किया है अथवा छल करने व छलपूर्वक भवन का आवंटन व कब्जा प्राप्त करने जानवृत्र कर त्राधिकरण से शपथ पर असत्य कथन किया है अथवा छल करने व छलपूर्वक भवन का आवंटन व हा विधिक प्रलेख निस्त कर है,
जानबूज कर प्राधिकरण से शपथ पर असत्य कथन किया है अथवा छल करने व छलपुर्वक नेयन को जाने हैं। उद्देश्य से महत्वपूर्ण तथ्य छुपायें हैं, तो प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि धवन का आवंटन तथा विधिक प्रतेख निरस्त कर दें,
उदेश्य से महत्वपूर्ण तथ्य छुपाये हैं, तो प्राधिकरण को यह आधकार होगी कि भवन को जीवन पर की कार्या हो है। इसके आंतरिका द्वितीय पक्ष द्वारा जमा समस्त धनराशि जब्त कर ले तथा द्वितीय पक्ष के पत्र के सिक्क फोजरारी कार्य के अन्तर्गत कार्यवाही भी
द्वितीय पक्ष द्वारा जमा समस्त धनराशि जब्त कर ले तथा दितीय पक्ष की भवन से निकासत करके करना के अन्तर्गत कार्यवाही भी किसी प्रकार की जालसाजी अथवा मिथ्या निरूपण पाये जाने पर द्वितीय पक्ष के विरूद फौजदारी कार्नून के अन्तर्गत कार्यवाही भी
किसी प्रकार को जालसाजी अधवा मिथ्या निरूपण पाय जान पर किसी प्रकार के जालसाजी अधवा मिथ्या निरूपण पाय जान पर किसी प
की जा सकती है। 3(1) भवन सं /२२-७ स्ताक U-3 सेक्टर जिसका सम्पति विवाण अनुसूची (1) में उस्तिविव
3(1) भवन सं 122- प्रताक U-3 सेक्टर प्रतिक सम्पति विवास अनुसूचा प्रतिक ति प्रतिक सम्पति विवास अनुसूचा प्रतिक सिक्टर प्रतिक सम्पति विवास सम्पति विवास अनुसूचा प्रतिक सिक्टर प्रतिक सम्पति विवास समिति विवास समि
है, प्राधिकरण द्वारा द्वितीय पक्ष को कुल ह. 30 0 40 रहा / (ह. ती ने लिस्ट) न किया / 13, 95 ०/८ रुपये मात्र) पर आवंदित किया गया है जिसमें से केवल / 13, 95 ०/८ रुपये किया निकार करता है। किया निकार करता है। प्रवा के मूच्य में पुष्पक्ष प्रवक्त का मूच्य केवल निकार करता है। प्रवा के मूच्य में पुष्पक्ष प्रवक्त का मूच्य केवल
केल एक लाइव वेर ६ ह जार में स्त्र पन्नास भाग
किवल एक ल्पास्त ते २० ६ जार जो पानास्त्र करता है। भवन के मूल्य में भूखण्ड घरक का मूल्य दितीय पक्ष द्वारा कर दिया गया है तथा जिसको प्राधिकरण एतद द्वारा स्थीकार करता है। भवन के मूल्य में भूखण्ड घरक का मूल्य दितीय पक्ष द्वारा कर दिया गया है तथा जिसको प्राधिकरण एतद द्वारा स्थाकर कर मूल्य केवल कर स्थानिया घरक का मूल्य केवल कर स्थानिया पर करता विभाग घरक का मूल्य केवल कर स्थानिया कर स्थानिया पर करता विभाग घरक का मूल्य केवल कर स्थानिया कर स्थानिया कर स्थानिया पर केवल कर स्थानिया कर स्थानिय
केवल 550 प/- हे. तथा निर्माण घटक का मूल्य केवल अ प्राप्त अप प्राप्त करते की प्राप्त करते के प्राप्त करते की प्राप्त करते के प
to the difficult of the state o
रु) पशि का भुगतान ब्याज सहित होता में किता में किता है। प्रितीय पक्ष द्वाप कितों का भुगतान अपिम रूप में कर दिया गया है। द्वितीय पक्ष द्वाप
30) दितीय पक्ष दारा किरतों का भग्रतान अमिम रूप में कर दिया गया है।
पश्चित है। हितीय पक्ष द्वारा किस्तों का भूग्रजन-अधिम रूप में कर दिया गया है। हितीय पक्ष द्वारा किस्तों का भूग्रजन-अधिम रूप में कर दिया गया है। हितीय पक्ष द्वारा किस्ता माह वर्ष के दसवे दिवस तक देग है। 333) उसने के पश्चात की किस्त हितीय पक्ष द्वारा अभिभृति काल में मत्येक वर्ष के अनवी, भव्वी, मार्ष, अन्नैल, मार्ष, अन्निल, मार्प, अन्निल, मार्ष, मार्ष, अन्निल, मार्ष, मार्ष, मार्ष, मार्ष, मार्ष, मार्ष, मार्प, मार्ष, मार्प, मार्ष, मार्प, मार्ष, मार्प,
33) उक्त के परचात की किरत द्वितीय पश्च द्वारा अभिषति काल में प्रत्येक वर्ष के अनवर, करण
33) उसन के पश्चात की किश्त दितीय पश्च द्वारा आभाषात काल में माने दिवस तक देय है। सितासर, अक्टूबर, नक्कर, दिशाबर माह के किया निया पश्च द्वारा है -
सितस्वर, अवर्त्वर, नवस्वर, निसन्वर माह के 324/34 विलम्ब से किश्तों का भूगतान करने की स्थित में द्वितीय पश्च द्वारा क 24/4/2 वार्षिक की दर से छमाही अथवा आशिक। माह प्रति किश्त की दर से अर्थ दण्ड/अतिदेय (outstanding) ग्रांश पर 24% वार्षिक की दर से अर्थ दण्ड/अतिदेय (outstanding) ग्रांश पर 24% वार्षिक की दर से अर्थ दण्ड/अतिदेय (outstanding) ग्रांश पर 24% वार्षिक की दर से छमाही अर्थ की स्थापन की किश्तों का भुगतान एक साथ किया जा अर्थ की स्थापन की किश्तों का भुगतान एक साथ किया जा अर्थ की स्थापन की
अथवा आंशिक) माह प्रति किरत की दर से अर्थ दण्ड/आतदय (Olistanians)
3(4) विलम्ब से किश्तों का भुगतान करने की स्थिति में इतिये पर्व अपित । पश्चिम किश्तों का भुगतान करने की स्थित में इतिये पर्व अपित । पश्चिम किश्तों का भुगतान एक साथ किया जा अपवा आंशिक) माह प्रति किश्त की दर से अर्थ दण्ड/अतिदेय (outstanding) पश्चिम किश्तों का भुगतान एक साथ किया जा अपकृति क्याज देय होगा। इस प्रावधान (provision) के अन्तर्गत अधिकतम तीन किश्तों का भुगतान एक साथ किया जा अपकृति क्याज है।
सकता है। 36) उक्त प्रश्नि के अतिरिक्त द्वितीय पश्च अभिष्यि काल में सामान्य सामान्य किस्तों, व्याज स्वादि की गान के प्रतिक वर्ष वार्षिक की दा से भुभाटक (ground-rent) भी द्वितीय पृष्ठ प्रत्येक वर्ष वार्षिक की दा से भुभाटक (ground-rent) भी दिवार में 24% तक अधिम रूप में जमा करेगा। व्यवस्थात (default) की स्थात में 24% तक अधिम रूप में जमा करेगा। व्यवस्थात (default) की स्थात में 25 कि
(ह 550/- वार्षिक को दा से प्रमा कोगा। व्यपगत (default) का राज की की
के हि मार्ग
वार्षिक की दर से उमाही चक्रवृद्धि स्पाय देव होगा किए 1377: 90 संदर्भ को 1994
4(1) के 6050/- हे अन्तर्भा निर्मा वर्ष 1994 से माह
तार पक्ष का उक्त भवन माह आविष के लिए अवक्रय अभिभात (एव पार्टी के अनुसार कर
3(5) उनन ग्राशि के अतिरिक्त हितीय पश्च अभिष्मित काल में सामान्य सामान्य किरती, स्मान हर्तिय पश्च प्रत्येक वर्ष प्राप्ति की दर से प्रशादक (ground-rent) भी हितीय पश्च प्रत्येक वर्ष वर्ष प्रत्येक वर्ष प्रत्येक की दर से प्रशादक (ground-rent) भी हितीय पश्च प्रत्येक वर्ष प्रत्येक की हर से प्रभावत प्रत्येक की दर से प्रभावत प्रवाद स्मान देव होगा जिल्ला कि प्रत्येक की दर से प्रभावत के प्रत्येक की दर से प्रभावत के प्रत्येक की दर से प्रभावत के प्रत्येक की प्रवाद की प्रत्येक की प्रवाद की प्रत्येक की प्रवाद की प्रवाद की प्रत्येक की प्रवाद की प्रत्येक की प्रवाद
को सथम है।
Officeron